

## Page Three

## Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment	Entertainment & Event
Property	Hobbies & Interests
Business Opportunity	Services
Vehicles	Jewellery & Watches
Announcements	Music
Antiques & Collectables	Obituary
Barter	Pets & Animals
Books	Retail
Computers	Sales & Bargains
Domain Names	Health & Sports
Education	Travel
Miscellaneous	

## Matrimonial (Sunday Only)



अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

## न्यूज डायरी

**महान वैज्ञानिक डा. डी डी पंत को दी श्रद्धांजलि**  
**संवाददाता** देहरादून। 'उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के तत्वावधान में दल के प्रथम अध्यक्ष, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति तथा महान वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर देवी दत्त पंत की तेरहवीं पुण्यतिथि को पार्टी कार्यालय में महानगर देहरादून इकाई द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। इस अवसर पर दल के केन्द्रीय कार्यालय में स्वर्गीय पंत को श्रद्धांजलि देते हुए महानगर अध्यक्ष सुनील ध्यानी ने कहा कि डॉ डी डी पंत का जन्म 14 अगस्त 1919 को गंगाली पिथौरागढ़ में वैद्य अम्बा दत्त पंत के यहां हुआ। उन्होंने कहा कि उनके पिता अम्बा दत्त पंत एक वैद्य थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पंत ने सन 1936 व 1938 में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अल्मोड़ा से करने के बाद हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस से बीएससी व एमएससी किया।

**31 ब्राह्मण जनो को वितरित की राशन किट**  
**संवाददाता** देहरादून। महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश द्वारा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देशानुसार कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी में कर्मकांड कार्य न होने के कारण ब्राह्मण परिवार की परेशानी को देखते हुये ऋषिकेश में कर्मकांड करके जीविका उपाजन करने वाले 31 ब्राह्मण जनो को राशन की किट मुखर्जी मार्ग स्थित गोपाल मंदिर में वितरित की गई। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष शिवमोहन मिश्र ने कहा कि इस महामारी में वो लोग जो आकाशवर्ती से अपने परिवार का पालन कर रहे थे उन पर बहुत परेशानी आयी और कांग्रेस पार्टी द्वारा हरसंभव प्रयास किया कि कि मजबूर, मजदूर व परेशान लोगों तक मदद पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसी कडी में आज 31 ब्राह्मणों को आज राशन किट प्रदान की गई।

### एमवे अपने व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तत्पर

**संवाददाता** देहरादून। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने तमाम तरह के उद्योगों पर अपना प्रभाव दिखाया है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी शामिल है और एमवे इंडिया, जो सबसे बड़ी एफएमसीजी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक है, कई अन्य व्यवसायों की तरह अल्पकालिक प्रभाव से लेकर मध्यकालिक प्रभाव की उम्मीद कर रहा है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी से बाहर आने को लेकर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप सेसकारात्मक है। हालांकि प्राथमिकता कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने में निहित है। एमवे इंडिया के सीईओ श्री अंशु बुधराजा ने दुनिया भर में फैली महामारी के दौरान एमवे में व्यवसाय संबंधी निम्नलिखित अपडेट को साझा किया। हमने कोविड-19 क्राइसिस कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें नेतृत्वकर्ता टीम के चुनिंदा सदस्य शामिल हैं।

# प्रदेश में नई भर्तियों पर रोक नहीं लगायी गई है

## असर

■ अधिकारी सिर्फ इकोनॉमी क्लास में ही सफर कर सकेंगे

## संवाददाता

देहरादून। कोरोना से तबाह हुई अर्थव्यवस्था के चलते प्रदेश में नए निर्माण कार्यों पर भी बुरा असर पड़ा है। मुख्यालयों पर नए कार्यालय और आवासीय भवन नहीं बनाए जाएंगे। साथ में निर्माणाधीन भवनों को ही यथासंभव पूरा कर उपयोग में लाया जाएगा। नए अतिथि गृह नहीं खोले जाएंगे। वहीं सरकारी कामकाज के सिलसिले में हवाई यात्रा करने वाले अधिकारी सिर्फ इकोनॉमी क्लास में ही सफर कर सकेंगे। सरकारी खर्च पर विदेशों में अधिकारियों के प्रशिक्षण, कार्यशाला या सेमिनार में भाग लेने को अनुमति नहीं मिलेगी।

सरकार की ओर से खर्चों पर पाबंदी का दायरा बड़ा किया गया है। सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए महकमों को नए निर्माण के

उत्तराखण्ड में नए दफ्तर-आवासीय भवन और अतिथिगृह नहीं बनेंगे



## अन्य भत्तों की कटौती

राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वीकृत मानदेय के अतिरिक्त टीए, डीए, एचआरए, सीसीए, एलटीसी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान होगा। इससे इतर दिए जा रहे भत्ते तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएंगे।

प्रस्ताव भेजने से पहले योजना का जीरो बेस्ड बजट के आधार पर मूल्यांकन करना होगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में नई भर्तियों पर रोक नहीं लगायी गई है। केवल नये पदों के सृजन पर रोक लगाई गई है। पहले से सृजित पदों पर भर्ती पर रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश में भी स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ-साथ कतिपय विशिष्टकनीकी कार्य हेतु सृजित वाहन चालक,

माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, ए.सी.—मैकेनिक एवं अन्य इसी प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर समस्त सेवायें अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय-5 बाह्य स्रोत से सेवायें कराये जाने के अन्तर्गत नियम-61 से 64 तक स्थापित व्यवस्था के अनुरूप संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर सम्पादित करवाया जानी है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नई भर्ती पर सातवें वेतन आयोग द्वारा पूर्व में ही रोक लगाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य

सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की है। जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। अपने गांवों को वापस लौटे लोगों की आजीविका के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। युवा अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वरोजगार के लिए करें, सरकार हर कदम पर आप सभी के साथ है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से स्वरोजगार की मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा के राज्य में बहुत से युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने न केवल अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया बल्कि बहुत से अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया। हम सब मिलकर सकारात्मक माहौल बनायें और अपनी देवभूमि में जन भागीदारी से एक नई स्फूर्ति का संचार करें।

### गिरफ्तार छात्रों की जल्द रिहाई को दिया धरना

**संवाददाता** देहरादून। श्रम कानून के निलंबन व संसोधन का विरोध तथा उष्ण कानून का दुरुपयोग कर सामाजिक कार्यकर्ताओं व छात्रों की अविलम्ब रिहाई की मांग को लेकर उत्तराखण्ड पीपुल्स फोरम का धरना प्रदर्शन आज 30वें दिन जारी रहा और इस अवसर पर केन्द्र व भाजपा शासित राज्य सरकारों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया।

अजबपुर खुर्द सरस्वती विहार में फोरम के संयोजक जयकृत कंडवाल का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस अवसर पर कंडवाल ने कहा कि जिस प्रकार केन्द्र की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार व भाजपा शासित राज्य सरकारें इस लॉक डाउन में श्रम कानून में संसोधन व इस कानून को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, यह पूरी तरह मजदूरों के हितों के साथ खिड़वाड है, आज जब समस्त देश का निर्माणकर्ता सड़को पर है और ऐसे में श्रम कानून को तोड़ना पूंजीवादी मानसिकता को दर्शाता है।



### आशारोडी चैक पोस्ट में लगा जाम

**संवाददाता** देहरादून। कोरोना के मोर्चे पर भविष्य का जोखिम कम करने के लिए जांच की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। आशारोडी चैक पोस्ट में बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों की गहन जांच की जा रही है। जिससे वहां लंबा जाम भी लग रहा है।

## चारधाम देवस्थानम बोर्ड मामले में हाइकोर्ट ने स्वामी से प्रतिशथपत्र पेश करने को कहा

## संवाददाता

नैनीताल। हाइकोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार के चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से 22 जून तक प्रतिशथपत्र पेश करने को कहा है। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में राज्य सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया। अगली सुनवाई 22 जून की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में बीजेपी सांसद व चर्चित अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी



की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चारधाम व 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है।

सरकार के इस फैसले के बाद प्रभावित धार्मिक स्थानों व मंदिरों

के पुजारियों में भारी रोष पैदा हो गया था। स्वामी ने कहा है कि तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, केरल व महाराष्ट्र सरकार ने भी इस तरह के निर्णय लिए थे, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट गलत ठहरा चुका है।

मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय पहले से ही हैं। जिन राज्यों ने इस तरह के निर्णय लिए थे, उन्होंने कभी मस्जिद, गिरजाघर को विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया। सिर्फ मन्दिरों को ही शामिल क्यों किया गया। याचिका में यह भी प्रार्थना की है कि जब तक इसमें कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता सरकार कोई अग्रिम कार्यवाही न करें।

### कोरोना काल में मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे टैक्सी चालक

**संवाददाता** हल्द्वानी। कोरोना संकट में जब लोग एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं कुछ टैक्सी संचालक मनमानी पर उतर आए हैं। मजबूर यात्रियों की जेब ढीली करने के लिए टैक्सी संचालकों ने किराया तीन से पांच गुना तक बढ़ा दिया है। मजबूरी में सफर कर रहे यात्री किसी ने इसकी शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन ने टैक्सी संचालकों को क्षमता से आधी सवारी बिटाने के निर्देश दिए हैं। ऑटो से लेकर मैक्सी कैंब के लिए यह व्यवस्था लागू है। टैक्सी संचालकों ने इसकी आड़ में अवैध वसूली शुरू कर दी है। हल्द्वानी से पहाड़ के लिए सेवाएं देने वाले टैक्सी चालक कई गुना अधिक किराया वसूल रहे हैं। किराये में भी एकरूपता नहीं है। कोई तीन गुना तो कोई चार गुना किराया वसूल कर रहा है। परिवहन विभाग की अनदेखी यात्रियों पर भारी पड़ रही है।

**मनमाना किराया वसूल रहे टैक्सी चालक** प्रशासन के नियमों को खुली धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन ने क्षमता से आधी सवारी बिटाने के निर्देश दिए हैं।